

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. / 2017 निगरानी

III/निगरानी/मुँना/३०२०/२०१७/३००३

श्री विनायक जी का-८९
द्वारा आज दि ३०-८-१७ को प.प्र.
प्रस्तुत

क्लक ऑफ कोर्ट ३/१७

न्यायालय म.प्र. ग्वालियर

✓ ३/१७

1. ववली पुत्री स्व. श्री रूप लाल
जाति ब्रम्हाण निवासीगण
मुँना गांव तहसील व जिला
मुँना म.प्र.

.....प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. खूबचन्द पुत्र स्व. कमलाकृष्ण
जाति ब्रम्हाण निवासी गांव
मुँना जिला व तहसील मुँना
म.प्र.

.....असलप्रतिप्रार्थी

2. रेनू पुत्रीगण स्व. श्री रूप लाल
3. नेमी चंद
4. फूल चंद
5. रामनिवास
6. महेश पुत्रगण स्व. कमलाकृष्ण
7. उषा देवी पुत्री स्व. श्री रूपलाल
8. दिनेश पुत्र स्व. नारायणकृष्ण
फोट वारिसान

1. श्रीमती रितू विधवा पत्नी
स्व. दिनेश

II. अजय

3

- III. गोलू नाबालिग पुत्रगण स्व.
दिनेश सरपरस्त मां श्रीमती
रितू पत्नी स्व. दिनेश
- IV. कुमारी छवि
- V. कुमारी दुर्गा नाबालिग
पुत्रीगण स्व. दिनेश
सरपरस्त मां श्रीमती रितू
पत्नी स्व. दिनेश
8. मंजू पुत्री स्व. नारायनकृष्ण
9. मालती देवी विधवा पत्नी
स्व. नारायन कृष्ण सभी
जाति ब्रम्हाण निवासीगण
मुरैना गांव तहसील व
जिला मुरैना म.प्र.

.....पूरकप्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान अपर अनुविभागीय
अधिकारी महोदय मुरैना के प्रकरण क्रमांक 56 / 2015-
16 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-06-2017 अंतर्गत
धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी ,


प्रार्थीगण की ओर से निगरानी निम्न लिखित
प्रस्तुत है-

1. यह कि प्रार्थीगण एवं प्रति प्रार्थीगण की ओर से मौजा जौरी
स्थित भूमि खाता क्रमांक 121 /2011-12 सर्वे क्रमांक 291
रकवा 0.428 हेक्टर , 293 रकवा 1.055 हेक्टर कुला

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/मुर्ना/भू.रा./2017/3003

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला मुर्ना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	